M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / NEEM BIO - 09 / 2026–27 / 1077 दिनांक : 17.07.2026 20

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : MICROFINE NEEM BIO PESTICIDE की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी अभिरूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 17.07.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्यसंबंधित विभागों के लिए MICROFINE NEEM BIO PESTICIDE के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S HIDDEN ELEMENTS PRIVATE LIMITED,** 119, E-3, ARERA COLONY, BHOPAL (MP) - 462039 CONTECT NO. Mr. Rahul Maheshwari, Proprietor : 9425432205 E-MAIL : customercare.hiddenelements@gmail.com
02	**M/S SHRINATHJI KAYAKALP REMEDIES PVT. LTD.** : PLOT NO. 16, NEW INDUSTRIAL AREA, MANDIDEEP DIST. RAISAN (MP) - 462046 : CONTECT NO. Mr. Pawan Maheshwari, Proprietor : 7415556666 E-MAIL : skr_remedes@rediffmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार है :–

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
		A	B	C	D	E	F	G
1	Microfine Neem Biopesticide based on Technology Transfer by Bhabha Atomic Research Centre Mumbai (1 kg)	99	5	**104**	99	5	5	**109**
2	Microfine Neem Biopesticide based on Technology Transfer by Bhabha Atomic Research Centre Mumbai (5 kg)	475	24	**499**	475	24	25	**524**
3	Microfine Neem Biopesticide based on Technology Transfer by Bhabha Atomic Research Centre Mumbai (10 kg)	925	46	**971**	925	46	49	**1020**
4	Microfine Neem Biopesticide based on Technology Transfer by Bhabha Atomic Research Centre Mumbai (25 kg)	2250	113	**2363**	2250	113	118	**2481**
5	Microfine Neem Biopesticide based on Technology Transfer by Bhabha Atomic Research Centre Mumbai (50 kg)	4400	220	**4620**	4400	220	231	**4851**

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 2

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 17.07.2026 से 16.10.2026 तक) के लिए लागू रहेंगी । जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में ई.ओ.आई की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा।

   (स) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

---- 3

5. **सामग्री की गुणवत्ता** – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित टेक्नॉलाजी एवं गुणवत्ता के अनुसार ही प्रदाय की जावेगी इसके लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध / अभिरूचि की अभिव्यक्ति में निर्धारित शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

7. **प्राईज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा MICROFINE NEEM BIO PESTICIDE हेतु जारी अभिरूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 17.07.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश/अनुदान राशि) प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

---- 4

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष शर्ते मुख्यालय द्वारा MICROFINE NEEM BIO PESTICIDE हेतु जारी अभिरूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 17.07.2025 के अनुसार रहेंगी।

प्रबंधक (विपणन)
20/7/26

प्रतिलिपि :– 1078 20-7-26

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप प्रबंधक (लेखा), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक –
   01. **M/S HIDDEN ELEMENTS PRIVATE LIMITED,** 119, E-3, ARERA COLONY, BHOPAL (MP) - 462039 &
   02. **M/S SHRINATHJI KAYAKALP REMEDIES PVT. LTD.** PLOT NO. 16, NEW INDUSTRIAL AREA, MANDIDEEP DIST. RAISAN (MP) - 462046

प्रबंधक (विपणन)
20/7/26

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★